कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग,
सिरपुर भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

-:: प्रेस विज्ञप्ति ::-

छत्तीसगढ़ शासन, लो.नि.वि. मंत्रालय रायपुर के पत्र क्र. एफ 21-7/टी/2012/19/निविदा दिनांक 02.03.2015 द्वारा वर्तमान में विद्यमान प्रावधान में संशोधन करते हुए रू. 5 करोड़ से अधिक लागत के समस्त कार्यों के Qualification Criteria के लिए प्रचलित प्री-क्वालीफिकेशन दस्तावेज के विन्दु क्र. 1 में संशोधन जारी किया गया है।

निविदाकारों को निविदा भरते समय अत्यधिक मात्रा में दस्तावेज जमा करने में होने वाली असुविधा को देखते हुए राज्य शासन ने यह निर्देश जारी किया है कि पिछले पांच वर्षों की आयकर विवरणी, बैलेंस शीट, लाभ हानि खाता तथा आडिट रिपोर्ट, सी.ए. द्वारा जारी पिछले पांच वर्षों का टर्न ओव्हर तथा वाणिज्यकर चुकता प्रमाण पत्र ठेकेदारों से एक बार प्राप्त कर प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। इस प्रमाण पत्र को प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में नवीनीकरण कराना होगा।

इसी प्रकार बिड केपेसिटी की गणना के लिए सिविल कार्यों के पिछले पांच वर्षों में प्राप्त भुगतान की जानकारी ठेकेदारों से प्राप्त कर प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। ठेकेदारों द्वारा निविदाओं में इस प्रमाण पत्र को अपलोड किया जाना होगा।

इस वित्तीय वर्ष के लिए ठेकेदारों द्वारा उक्त प्रक्रिया को 31.03.2015 तक पूर्ण किया जाकर प्रमाण पत्र जारी करा लिया जाना था किन्तु अधिकांश ठकेदारों द्वारा यह कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई है जिसके कारण उन्हें उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सका है। प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा इस हेतु सेमीनार तथा विभिन्न पत्रों के माध्यम से बार बार अनुरोध किया गया था।

उपरोक्त कार्यवाही समस्त ठेकेदारों द्वारा अविलंब पूर्ण करा लिया जाए ताकि ठेकेदारों के हितार्थ शासन के इस योजनाओं को समय सीमा में क्रियान्वित किया जा पाना संभव हो सके।

लोक निर्माण विभाग द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने वाले इच्छुक ठेकेदार उपरोक्तानुसार दस्तावेज प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग कार्यालय में अविलंब जमा करें ताकि उन्हें प्रमाण पत्र जारी किया जा सके। इस प्रमाण पत्र के अभाव में दिनांक 30.04.2015 के बाद आमंत्रित होने वाली निविदाओं में ठेकेदार भाग नहीं ले सकेंगे।

प्रमुख अभियंता
लो.नि.वि., रायपुर (छ.ग.)